



## महिला सशक्तिकरण का सामाजिक दृष्टिकोण: एक अध्ययन (म0प्र0 के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. शैलेन्द्र सिंह, समाजशास्त्र

शासकीय महाविद्यालय रजमिलान, जिला सिंगरौली म.प्र.

Email id- [singhshailendra649@gmail.com](mailto:singhshailendra649@gmail.com)

**सारांश :-** वैदिक काल में महिलाएं कवित्रिया तक भी थीं नर और नारी को समान अधिकार प्राप्त थे और दोनों बराबर का दर्जा रखते थे। नारी को अपने जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता थी। महिला की उन्नति व विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषकर सामाजिक दृष्टि से उनका सशक्तिकरण होना आवश्यक है। उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो ऐसा होने पर ही लैंगिंग असमानता को दूर किया जा सकता है। स्त्रियों का सशक्तिकरण उन्हें नए क्षितिज दिखाने का प्रयास है जिसमें वे दी गई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेगी, घरेलू पक्ष संबंधों का बेहतर समायोजन करेगी और घर तथा पर्यावरण में स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकेगी।

**कीवर्ड :-** महिला, सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, लिंगानुपात, मातृत्व, मृत्यु-दर, मूल्य।

**प्रस्तावना :-** स्त्री का मानव की सृष्टि में ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस संबंध में पंडित नेहरू का कथन है कि " यदि जनता में जागृति पैदा करना है तो पहले महिलाओं को जागृत करो एक बार वे आगे बढ़ती हैं तो एक परिवार आगे बढ़ता है, गांव, शहर आगे बढ़ता है और सारा देश आगे बढ़ता है।" वैदिक काल में महिलाएं कवित्रिया तक भी थीं नर और नारी को समान अधिकार प्राप्त थे और दोनों बराबर का दर्जा रखते थे। नारी को अपने जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता थी। इसके पश्चात सूत्रकाल में नारी की स्थिति अच्छी नहीं थी, नारी को धार्मिक समारोह में भाग लेने तथा समानता के अधिकार से वंचित किया गया, उसे गोद लेने का अधिकार भी नहीं था। ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया इसके लिए कुछ कारण मुख्यतः उत्तरदायी थे **पहला** कारण यह था कि अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सत्ता तलवार के दम पर नहीं बल्कि बुद्धि और कलम के द्वारा हासिल की जिससे किसी राजा या बादशाह की बहू बेटियों को अपनी बंदी बनाने का प्रश्न ही नहीं था, **दूसरा** कारण था उनके द्वारा स्त्रियों का सम्मान करना और **तीसरा** कारण था उनके सामाजिक जीवन में पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का अभाव था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नारियों के लिए एक नवयुग का सूत्रपात हुआ, संविधान द्वारा सदियों पुरानी दासता व असमानता की स्थिति से नारी को मुक्ति दिलायी इससे पुरुष और नारी के सम्मान के साथ का नारा बुलंद किया। महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जाने लगी। सरकार द्वारा किये गये प्रयास 1955 में हिन्दू मैरिज एक्ट, 1956 में हिन्दू उत्तराधिकार कानून, 1978 में अशोक मेहता समिति ने पंचायत की निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका पर बल दिया और 73 वें और 74 वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं को ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे महिला सशक्तिकरण में विकास को बढ़ावा मिला। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है, यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है।

**महिला सशक्तिकरण की अवधारणा:-** सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग बहुत से सामाजिक समूहों के विकास के लिए किया गया है पर महिलाओं की परिस्थिति के में इस अवधारणा का एक विशेष महत्व रहा है, शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार सशक्तिकरण का अर्थ है – " किसी व्यक्ति या समूह को सत्ता या कानूनी शक्ति देना, किसी को करने के लिए शक्ति तथा विश्वास देना तथा किसी व्यक्ति या समूह को अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्रता क्षमता प्रदान करता है।" रिमार्ड कार्नर के अनुसार " सशक्तिकरण वह स्वतंत्रता है जो कार्य करने के सबसे अच्छे तरीके के साथ है" पूरे विश्व में ही महिला सशक्तिकरण " की शब्दावली का प्रयोग पिछले एक दशक से किया जा रहा है। यहां आजादी के बाद सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में पहले तीन दशकों तक महिला विकास की शब्दावली

अधिक प्रचलित है बाद में 90 के प्रारंभिक वर्षों में महिला समानता या उन्हें बराबरी के हक दिलाने पर जोर देने की बात की जाने लगी।

**राजनीतिक सशक्तिकरण :-** महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण केवल महिला के विकास के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि पूरे देश के विकास के लिए भी आवश्यक है। भारतीय संविधान में 73 वें एवं 74 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकायों में एक तिहाई आरक्षण दिया गया है।

**सामाजिक सशक्तिकरण :-** सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर पढ़ने-लिखने का अधिकार मिला, अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रही है, अज्ञात, अज्ञात व पिछड़ा वर्ग महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं को सुविधाएं दी गयी हैं।

**आर्थिक सशक्तिकरण :-** महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। देश की आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा महिलाएं हैं जो विषेय रूप से असंगठित होकर कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। महिला सशक्तिकरण कार्यों के अंतर्गत भारत सरकार के महिला और बाल विकास तथा राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा प्रदेश के विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों की महिला सदस्यों को स्वावलम्बी बनाने हेतु अच्छी नस्ल के दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराए हैं।

**महिला सशक्तिकरण के संकेतक :-** महिला सशक्तिकरण का मूल है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में लिंग समानता के लिए महिला कल्याण करना, इसके लिए महिला सशक्तिकरण के संकेतक में निम्न अन्य कारकों को भी शामिल कर सकते हैं :-

- ✓ लिंग – सम्बंधित विकास सूचकांक (GDI)
- ✓ लिंगानुपात
- ✓ मातृत्व मृत्युदर
- ✓ विभिन्न विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी
- ✓ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

**लिंग संबंधी विकास सूचक में तीन आयामों का प्रयोग किया जाता है:-**

- ✓ महिलाओं के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।
- ✓ महिला व लिंग साक्षरता एवं कुल नामांकन अनुपात।
- ✓ स्त्री प्रति व्यक्ति आय।

महिलाओं के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना, बेहतर स्वास्थ्य स्तर एवं जीवन स्तर का द्योतक है। महिला बालिक साक्षरता एवं कुल नामांकन अनुपात स्त्री शिक्षा एवं साक्षरता को इंगित करता है।

**महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य :-** जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो यह महिलाओं को विशेष अधिकार कर्तव्य का बोध कराते हैं उन्हें समाज या समुदाय से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं तो यह प्रक्रिया महिला शक्ति की ओर संकेत करती है, सशक्तिकरण का अभिप्राय शक्ति प्रदाय करने मानसिक अथवा शारीरिक गतिविधियों के सम्पादन की क्षमता प्रदान करने में विस्तार पाता है। वर्तमान में महिलाओं का स्वविकास इनके सशक्तिकरण को दर्शाता है। स्त्रियों का सशक्तिकरण उन्हें नए क्षितिज दिखाने का प्रयास है जिसमें वे दी गई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेगी, घरेलू शक्ति संबंधों का बेहतर समायोजन करेगी और घर तथा पर्यावरण में स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकेगी। महिला सशक्तिकरण का मुख्य पक्ष स्त्रियों के अस्तित्व का अधिकार और समाज द्वारा उनकी स्वीकारता है। महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर पर, प्रजनन के क्षेत्र में, आय पर श्रम शक्ति पर सम्पत्ति पर नियंत्रण कर पाना उनकी सबलीकरण है और यही सशक्तिकरण का उद्देश्य है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झण्डे गाड़े हैं। आज देश व दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं, जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करायी हो, आज उसी का परिणाम है कि अब सरकार अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं के लिए भी अपने विकास के मानदण्डों में बदलाव ला रही है। पहले महिलाओं के लिए सरकार के पास केवल कल्याणो मुखी योजनाएं थी। बाद में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा

दिया। महिला सशक्तिकरण एक लगातार चलने वाली अनवरत और गतिशील प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हासिए के लोगो को मुख्यधारा में लाया जा सके सत्ता संरचना में भागीदार बनाया जा सके। सशक्तिकरण एक लक्ष्य है और संपोषित विकास की आवश्यक दशा भी है। स्त्रियों का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व दक्षता में अभिवृद्धि, कार्यक्षेत्र और अन्यत्र उनके साथ किए जा रहे बुरे व्यवहार की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति आदि वे कार्य हैं जिनकी पूर्णता द्वारा सशक्तिकरण का वास्तविक लक्ष्य पाना संभव है। जिनके विन्दु निम्नानुसार हैं:-

- ✓ आर्थिक विकास में भागीदार कर महिलाओं का सशक्तिकरण
- ✓ सामाजिक विकास में भागीदार कर महिलाओं का सशक्तिकरण
- ✓ राजनैतिक विकास में भागीदार कर महिलाओं का सशक्तिकरण
- ✓ सार्वजनिक कल्याण हेतु योगदान कर महिलाओं का सशक्तिकरण करना प्रमुख उद्देश्य है।

**विश्लेषण :-** भारत में महिलाओं के जुझारूपन का सिलसिला 1921 से शुरू होता है, 1949 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में महिलाओं की स्थिति के बारे में एक आयोग का गठन किया गया था। जिसकी 25 वीं रिपोर्ट में विश्व के सभी राष्ट्रों से यह अपील की गयी थी कि वे अपने देश में महिलाओं की स्थिति पर अध्ययन की दशा में कदम उठाएँ। महिला सशक्तिकरण के लिए पहला कदम स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्रत्येक वयस्क महिला को वोट डालने और चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार प्रदान कर उठाया गया। परिणाम स्वरूप महिलायें संसद एवं विधान सभाओं के लिए चुनी जाने लगी। वर्तमान में तो ग्राम पंचायती व नगर पालिकाओं के चुनाव में स्त्रियों के लिए 50 प्रतिषट आरक्षण का प्रावधान कर दिया है जिससे वे पुरुष के बराबर राजनीति में भागीदार बनें। म0प्र0 सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं व कार्यक्रम संचालित किए हैं जैसे :- महिला दिवस, 2008 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा धन लक्ष्मी योजना का शुभारंभ देह-व्यापार, पांडित महिलाओं को राहत, बचाव एवं पुर्नवास हेतु "उज्ज्वला" योजना शुरू की गयी है। भावनात्मक मौखिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार के विरुद्ध महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 तथा नियम 2006 बनाया गया।

समेकित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा समुचित शिक्षा एवं संचार माध्यमों से उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने हेतु इंदिरा महिला योजना, महिलाओं के उत्थान हेतु बालिका समृद्ध योजना बालिकाओं के उत्थान हेतु बालिका समृद्धि योजना, निर्धन परिवारों की 11 से 18 वर्षीय बालिकाओं के समुचित विकास एवं उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से किशोरी बालिका योजना, कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना मुक्त शिक्षा, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग व महिला मानवाधिकार आयोग, आदि अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

**स्त्री शक्ति को जानना :-** आज देश में सामाजिक-आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में महिलाएं अपने गुण और शिक्षा के दम पर बड़ी संख्या में डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी वकील जज और इंजीनियर तक नजर आती हैं। इसी तरह महिलाओं ने विश्व सुंदरी का सम्मान पाने, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राजदूत, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों के उत्तरदायित्वों का भली-भांति निर्वहन करने के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पदभार भी बखूबी संभाला है। आज की नारी कल के भविष्य की अधिकारी है। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए केवल लक्ष्य निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा बल्कि लक्ष्यों को भलीभांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन और सशक्तिकरण की योजनाओं को कागजों तक ही सीमित नहीं रखा जाए बल्कि धरातल पर उतारा जाए। यह तो निश्चित है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें स्वयं आगे आना होगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। व्यापक स्तर पर नारी मुक्ति आंदोलन का सूत्रपात करना होगा।

**महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय महत्व :-** महिला की उन्नति व विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषकर सामाजिक दृष्टि से उनका सशक्तिकरण होना आवश्यक है। उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो ऐसा होने पर ही लैंगिंग असमानता को दूर किया जा सकता है। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण हेतु निम्न आधारभूत सिद्धान्तों का होना अनिवार्य है:-

- ✓ स्त्री- पुरुष के मध्य समानता।
- ✓ स्वयं की क्षमताओं के पूर्ण विकास का महिलाओं को अधिकार।

✓ स्वयं को प्रतिनिधित्व व स्वयं के सन्दर्भ में निर्णय लेने का अधिकार।

वास्तविकता जो यह है कि सामाजिक परिदृष्ट में आज भी महिलाओं की भूमिका बहुत सार्थक नहीं मानी जा सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला सहभागिता के मुद्दे को अधिक सशक्त ढंग से उठाया जाए। यद्यपि पिछले कई दशकों से चले आ रहे महिला आन्दोलनों की प्रभावशाली उपलब्धि रही है, परन्तु इसके पश्चात भी सामाजिक संरचना में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता। आज भी पूरे विश्व में औसतन 12-13 प्रतिशत महिलाएं ही नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

**सक्षरता में महिलाओं की स्थिति :-**

| वर्ष | पुरुष साक्षरता<br>(प्रतिशत में) | महिला साक्षरता<br>(प्रतिशत में) | सकल साक्षरता<br>(प्रतिशत में) | महिला साक्षरता में वृद्धि<br>(प्रतिशत में) |
|------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1981 | 56.50                           | 29.29                           | 43.67                         | 7.88                                       |
| 1991 | 64.13                           | 38.56                           | 52.21                         | 9.44                                       |
| 2001 | 75.58                           | 54.16                           | 65.38                         | 14.87                                      |
| 2011 | 82.14                           | 65.46                           | 74.04                         | 18.12                                      |
| 2021 | 84.70                           | 70.3                            | 94.02                         | 14.5                                       |

**महिला सशक्तिकरण की चुनौती :-**

1. घर के बाहर कार्य करने की स्थिति में घर परिवार का कार्य क्षेत्र के दोहरे दायित्व का निर्वहन करने की बाध्यता महिलाओं की समाजिक जीवन में उसकी संलग्नता उस प्रकार की नहीं हो पाती जैसी की पुरुषों की होती है।
2. प्रजनन कार्य व शिशु पालन पोषण का एकांगी दायित्व।
3. अशिक्षा व तुलनात्मक रूप से निम्न शैक्षिक स्तर।
4. अत्यधिक धन व शारीरिक बल पर आधारित निर्वाचन प्रणाली का वर्तमान स्वरूप में महिलाओं के लिए सामाजिक सहभागिता को कमजोर बना देता है।
5. पारम्परिक श्रम विभाजन के अनुरूप निर्धारित प्रदत्त भूमिकाओं के निर्वहन में अधिक समय व श्रम का न होना।

**महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हेतु उपाय :-**

1. राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने समस्त नागरिकों, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो की राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक उपस्थिति दर्ज कराए।
2. महिलाओं की आवाज सुनी जाए एवं उनको प्रोत्साहित भी किया जाय।
3. सार्वजनिक जीवन में सम्बन्धित नीतियों के निर्माण में उनके सार्थक योगदान हेतु स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में अधिकाधिक नामंकन हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाय।
4. परिवार से मदद प्राप्त होना चाहिए।
5. सामाजिक रूप से इनके दायित्वों को समझना चाहिए।

**निष्कर्ष :-** कहा जा सकता है कि महिलाओं को स्वयं जागरूक होकर व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तरों पर अपने लिए समता, विकास और अधिकार का मार्ग तलाश करते हुए अपनी अस्मिता को चुनौती देने वाले तत्वों से संघर्षरत रहकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी तथा नारी को नारी के रक्षार्थ भी मोर्चा लेना होगा, क्योंकि जिस दिन नारी की रक्षार्थ खड़ी हो जाएगी समाज नई करवट लेगा।

**समन्वयात्मक दृष्टिकोण :-**स्त्री और पुरुष जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं सामाजिक धरातल पर पितृ सत्तात्मक परिवार में पुरुष मुखिया रहते हैं। परिवार में उनके आपसी समन्वय से ही परिवार कायम रहता है। यही समन्वय समाज में दिखाई दे इसके लिए आवश्यक है कि पुरुष भी स्वस्थ मानसिकता से महिलाओं की प्रगति में इसका प्रारंभ अपने घर से करे।

**समाजिक मूल्यों का रूपान्तरण :-** भारतीय सामाजिक व्यवस्था परम्परा शासित है, परिवार का पितृ सत्तात्मक स्वरूप परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र तक विस्तृत दिखाई देता है। बाह्य संसार में स्त्रियों की सहभागिता एक व्यक्ति के रूप में प्राथमिक हो सामाजिक यथार्थ के प्रत्येक क्षेत्र में संस्तरण नए रूप में ग्रहण कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में स्त्रियों की शिक्षा, आर्थिक, आत्मनिर्भरता का शासक वर्ग में प्रतिनिधित्व आवश्यक है, जिसमें स्त्री, पुरुष दोनों के प्रयत्न प्रभावी होंगे।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. शर्मा श्रीनाथ एवं मनोज कुमार सिंह "पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास"
2. कुरुक्षेत्र वर्ष 59 अंक 10 अगस्त 2013
3. नैमर रेणुका " नारी स्वातंत्र्य के बदलते रूप "
4. कुरुक्षेत्र वर्ष 57 अंक : 11 सितम्बर 2011
5. मेहेदले लीना योजना अगस्त 2001
6. राधा कुमार स्त्री संघर्ष का इतिहास

Global Axis International Journal of Multidisciplinary Studies